40–(08)–61–2017

'कन्वेंशन सेंटर', राजगीर, नालंदा में दिनांक–17 जनवरी, 2017 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	जल संसाधन विभाग	
1.	कर्मनाशा नदी पर निकृष पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 6421.92 लाख (चौसठ करोड़ इक्कीस लाख बिरान्वे हजार रूपये मात्र)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	1. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
2.	पथ प्रमंडल, रोसड़ा के अन्तर्गत सिंघिया–हिरनी पथ (बिरौल–सिंघिया–पिपरा पथ) के कि०मी० 0.00 से 10.00 तक (कुल 10.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, पथ फर्निचर कार्य, विविध कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, आकस्मिक कार्य, पथ संधारण कार्य, Compensatory Afforestation एवं Utility Shifting कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2519.78 लाख (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख अठहत्तर हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
3.	बिहारशरीफ पथ प्रमंडल के अन्तर्गत पावापुरी–घोसरावां पथ के कि०मी० 0 से 5.06 (कुल 5.06 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन, ड्रेन, बचाव कार्य, भूमि अधिग्रहण तथा रोड साईनेज आदि कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2234.34 लाख (बाईस करोड़ चौंतीस लाख चौंतीस हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	3. स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
4.	नाबार्ड ऋण योजना (आर०आई०डी०एफ०–XVI) के तहत भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया के विजयघाट के समीप कोशी नदी पर कुल 10.87 कि०मी० लम्बाई में पहुँच पथ निर्माण कार्य, क्रॉस–ड्रेनेज कार्य, गार्डड बाँध निर्माण कार्य, आर०ओ०बी० निर्माण कार्य, रोड फर्निचर एवं बचाव कार्य सहित 1840 मी० लंबाई का 4–लेन उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 46784.87 लाख (चार सौ सड़सठ करोड़ चौरासी लाख सतासी हजार) रूपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	4. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

5.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राज्य पथों पर अवस्थित विक्रमशीला सेतु पर दिनांक–12. 11.2016 से 14.11.2016 की मध्य रात्रि तक एवं सभी पुलों पर दिनांक–26.11.2016 से 02.12.2016 की मध्य रात्रि तक पथकर संग्रह स्थगित रखने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	बांका जिलान्तर्गत धोरैया अंचल के मौजा–पैर के थाना सं०–343, खाता सं०–304, खेसरा सं०–2423, रकबा–50 डिसमिल गैरमजरूआ आम परती कदीम भूमि 3600/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,80,000/–(एक लाख अस्सी हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 2,25,000/–(दो लाख पच्चीस हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–4,05,000/–(चार लाख पांच हजार) रू० के भुगतान पर दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	प० चम्पारण जिलान्तर्गत भितहाँ अंचल के मौजा–खैरा टोला, थाना सं०–272, खाता सं०–871, खेसरा सं०–1186/1 गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि कुल रकबा–0.50 एकड़ में 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र की स्थापना हेतु 2700/–(दो हजार सात सौ) रू० प्रति डिसमिल की दर से 1,35,000/–(एक लाख पैंतीस हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पाँच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 1,68,750/–(एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास) रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–3,03,750/–(तीन लाख तीन हजार सात सौ पचास) रू० के एकमुश्त भुगतान पर प्रस्तावित भूमि को नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर बिहार राज्य अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के उत्तर प्रदेश राज्य सीमा पर राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–28 बी० के गोबरहिया ग्राम (मदनपुर के निकट) से प्रारंभ होकर पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया होते हुए किशनगंज जिला के पश्चिम बंगाल राज्य सीमा पर गलगलिया तक, कुल 552.293 कि०मी० दो लेन पथ एवं पुल–पुलिया निर्माण कार्य, भू–अर्जन, Utility Shifting, Environment Clearance इत्यादि कार्य, कुल 3935.1304 करोड़ (तीन हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ तेरह लाख चार हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने हेतु प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

9. षोडश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 185वें सत्र (बजट सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

10. दिनांक–01.04.2016 से प्रभावी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त फ्रेमवर्क के आधार पर योजना के कार्यान्वयन के साथ ही लाभूकों को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान करने तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु प्रावधान किये गये निधि का उपयोग करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA/NMCG के अधीन) पटना शहर के सैदपुर जोन में 172.50 KM Sewerage Network के निर्माण हेतु 426.7129465 करोड़ रूपये (चार सौ छब्बीस करोड़, इकहत्तर लाख, उन्तीस हजार, चार सौ पैंसठ रू० मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना में राज्यांश की 30% हिस्सेदारी, निविदा की वर्द्धित राशि तथा सेंटेज की राशि सहित कुल– 238. 6719506 करोड़ रूपये (दो सौ अड़तीस करोड़ सड़सठ लाख, उन्नीस हजार, पाँच सौ छः रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

12.	विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) पटना शहर के बेउर जोन में 179.74 KM Sewerage Network के निर्माण हेतु 394.8928 करोड़ रूपये (तीन सौ चौरानवे करोड़ नवासी लाख, अठाईस हजार, रू० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस योजना में राज्यांश की 30% हिस्सेदारी, निविदा की वर्द्धित राशि तथा सेंटेज की राशि सहित कुल–236.85284 करोड़ रू० (दो सौ छत्तीस करोड़, पचासी लाख, अठाईस हजार, चार सौ रू० मात्र) का व्यय राज्यांश के रूप में किये जाने की स्वीकृति।	12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13.	रातो नदी बाढ़ प्रबंधन योजना के अन्तर्गत नो–मेंस लैंड से निशा रोड तक नये तटबंध (बायाँ 17.00 कि०मी० और दायाँ 15.00 कि०मी०) का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि रू० 11065.00 (एक सौ दस करोड़ पैंसठ लाख) लाख मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14.	''अहिरौलीदान (यू०पी०) बॉध से बेतिया–गोपालगंल पुल के गाईड बॉध तक मिट्टी के बॉध निर्माण कार्य'' (प्राक्कलित राशि–6281.43 लाख) (बासठ करोड़ इक्कासी लाख तेतालिस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15.	कोशी–मेची लिंक योजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assesment) का अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्राक्कलित राशि 34.00 लाख (चौंतीस लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा परामर्शी फर्म Centre for Envotech & Management Consultancy Pvt. Ltd, N-5/305, IRL Village Nayapalli, Bhubaneshwar-751015, Orissa को कार्य आवंटित करने हेतु प्रस्ताव।	15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

16.	''गंडक नदी के दॉये तट पर अवस्थित पी०पी० तटबंध के कि०मी० 0.00 से 9.63 कि०मी० एवं टी०आर०एल०–4 प्रभाग के कि०मी० 0.00 से 6.00 कि०मी० तक उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य'' (प्राक्कलित राशि–3082.424 लाख रूपये) (तीस करोड़ बैरासी लाख बियालिस हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	16. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

17. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के सुदृढ़ीकरण हेतु 'बिहार कला एवं संस्कृति सेवा' के अंतर्गत तात्कालिक न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18. केन्द्र सरकार के Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP)- Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) के तहत राज्य की परियोजनाओं हेतु Long Term Irrigation Fund (LTIF) के तहत NABARD के माध्यम से ऋण स्वरूप राज्यांश की राशि प्राप्त करने हेतु त्रि–पक्षीय एकरारनामा एवं RBI के साथ Mandate में निहित शर्त्तों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2016–17 के बकाए वेतन (माह नवंबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक) के भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में राशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में ₹ 1470. 1880 करोड़ रूपये तथा राज्यांश मद में ₹ 629.8120 करोड़ रूपये अर्थात् कुल ₹ 2100.00 करोड़ रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

20. माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी नीति के अन्तर्गत शौच मुक्त पंचायत (ODF) को प्राथमिकता देने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

21. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये असुरक्षित ऋण एवं सूद की कुल राशि ₹31,55,49,855/–(एकतीस करोड़ पचपन लाख उनचास हजार आठ सौ पचपन) मात्र में से ₹ 19,34,49,900/–(उनीस करोड़ चौतीस लाख उनचास हजार नौ सौ) मात्र को Equity में Convert करने एवं शेष राशि ₹ 12,20,99,955/–(बारह करोड़ बीस लाख निनयानवे हजार नौ सौ पचपन) को आई०आई० आई० टी० की स्थापना पर वहन किए जाने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

22. राज्य में IT आधारित आधारभूत संरचना को विकसित एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के निमित्त राज्य की राजधानी पटना में डाकबंगला चौराहा पर Concessionaire (रियायती) के माध्यम से IT Tower के निर्माण किए जाने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

23. राज्य के 38 जिलों के प्रत्येक प्रखण्ड में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के भवनादि के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 28,57,800/–(अट्ठाईस लाख संतावन हजार आठ सौ) मात्र प्रति कौशल विकास केन्द्र की दर से कुल रू० 152,60,65,200/–(एक सौ बावन करोड़ साठ लाख पैंसठ हजार दो सौ) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

24. बिहार राज्य के सात निश्चय के तहत सभी 534 प्रखण्डों में कौशल प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 4454.23 लाख (रूपये चौवालिस करोड़ चौवन लाख तेईस हजार) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से राशि की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

कृषि विभाग

25. राज्य के 23 जिले यथा बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, सारण एवं सिवान में केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (PMKSY per Drop More Crop) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में 2961.958 लाख (उनतीस करोड़ एकसठ लाख पंनचानवे हजार आठ सौ) रूपये तथा राज्यांश मद में 1974.578 लाख (उनीस करोड़ चौहत्तर लाख संनतावन हजार आठ सौ) रूपये कुल 4936.536 लाख (उनचास करोड़ छत्तीस लाख तीरपन हजार छः सौ) रूपये की लागत पर जल स्रोत का निर्माण/जीर्णोद्धार संरक्षित जल को बिना अपव्यय के सिंचाई हेतु खेत तक पहुँचाने का साधन विकसित करने की योजना की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

कृषि विभाग

26. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्रांश मद में 3073.668 लाख रूपये (तीस करोड़ तिहत्तर लाख छियासठ हजार आठ सौ रूपये) एवं राज्यांश मद में 2406.11200 लाख रूपये (चौबीस करोड़ छः लाख ग्यारह हजार दो सौ रूपये) कुल 5479.78 लाख (चौवन करोड़ उनासी लाख अठहत्तर हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति। 26. स्वीकृत।

कृषि विभाग

27. बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी योजना के खरीफ कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष अवयवों हेतु वर्ष 2016–17 में 3833.948 लाख रूपये (अड़तीस करोड़ तैंतीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ रूपये) की सहायता अनुदान की स्वीकृति। 27. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

28. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–24 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अनाज आधारित आसवनी से ई०एन०ए० निर्माण, विदेशी शराब विनिर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट की अनुज्ञप्ति का वित्तीय वर्ष 2017–18 से नवीकरण नहीं करने की स्वीकृति। 28. स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

29. वर्ष 2008–09 में राज्य योजना अन्तर्गत 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना की स्वीकृति प्रति छात्रावास रू० 187.00 लाख (एक करोड़ सतासी लाख रू०) मात्र के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 18 छात्रावासों के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार कुल रू० 5681.96 लाख (छप्पन करोड़ एक्कासी लाख छियानवे हजार रूपये मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि रू० 2315.96 लाख (तेईस करोड़ पन्द्रह लाख छियानवे हजार रू० मात्र) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत किये जाने की स्वीकृति। 29. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

30.	राज्य के सदर एवं अनुमंडलीय अस्पताल/प्रमंडलीय अस्पतालों में वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतन एवं भत्ते विषय शीर्ष (01–01 से 01–07) इकाई में व्यय निमित्त कुल ₹ 1,60,50,00000/–(एक अरब साठ करोड़ पच्चास लाख) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति।	30.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

31.	निजी प्रक्षेत्र में स्थापित तपोवर्धन प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, भागलपुर के संवर्द्धन एवं विकास हेतु कुल रू० 50,08,25,000/–(पचास करोड़ आठ लाख पचीस हजार रूपये) मात्र के अनुदान एवं व्यय की स्वीकृति।	31.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

32.	राज्य में कार्यरत RBI से निबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को Bihar Moneylenders Act, 1974 में वर्णित प्रावधानों से मुक्त करने के संबंध में।	32.	स्वीकृत।